

# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

6 / 2025

गोपाल बिहारी गौतम निवासी डी-182 इन्द्रा कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला  
टोंक राज0

—अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 13.02.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

प्राथी द्वारा आपके आदेश क्रमांक 169 दिनांक 08.05.2024 की मुख्य कार्यकारी अधि. द्वारा पालना नहीं किये जाने पर माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2024 को प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यालय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा आपके नाम दिनांक 14.10.2024 को आदेश क्रमांक टोक/24/64922 जारी किया गया था।

पत्र में वर्णित- निर्देशानुसार निवेदन है कि संलग्न प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के अनुक्रम में परीक्षणोपरान्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/वस्तुस्थिति से इस कार्यालय को 10 दिवस में अवगत करने का श्रम करावे।

अतः प्रार्थी को उपरोक्त विषयानुसार रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करने की कृपा करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा०पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 119 दिनांक 30.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 182 दिनांक 10.02.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 39 दिनांक 07.01.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(डॉ. सौम्य झा)  
प्रथम अपील अधिकारी  
जिला कलेक्टर  
एवं जिला कलेक्टर टोंक